न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 210/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– इलमदीन पुत्र मिश्रीखां 2– मोहम्मद खां पुत्र मिश्रीखां 3– आमदीन पुत्र मिश्रीखां 4– युसुफखां पुत्र मिश्रीखां 5– रमजान पुत्र मिश्रीखां 6– रफीक पुत्र सतार खां 7– निसारखां पुत्र सतार खां 8– इनायत उल्ला पुत्र सतार खां 9– सलीमखां पुत्र सतार खां 10–सिकन्दर पुत्र सतार खां 11–जीन्नत पत्नी सतार खां जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण ग्राम बडी ढाणी, तहसील बाप जिला जोधपुर		1– बालम खां पुत्र शेखुखां 2– सफीखां पुत्र शेखुखां 3– बचुखां पुत्र शेखुखां 4– मोहम्मद सैयद पुत्र शेखुखां 5– रहीम खां पुत्र शेखुखां 6– नूरदीन पुत्र शेखु खां जतियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण ग्राम बडी ढाणी, तहसील बाप जिला जोधपुर 7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24–2–2021 जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 41/2020 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री मनोहर सिह राठोड अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30–5–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम बडी ढाणी के खसरा नंबर 2168 रकबा 27.06 बीघा, खसरा नंबर 2188 रकबा 16 बीघा, खसरा नंबर 2189 रकबा 27.09 बीघा कुल रकबा 70 बीघा 15 बिस्वा स्थित है । उक्त खसरा नंबरान की पैमाईश दिनांक 6–1–2020 को की गई जिस पर अप्रार्थीगण असंतुष्ट है इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी की जायें । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे वर्तमान अपीलांटगण को बतौर अप्रार्थीगण बनाया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विधिवत नोटिस तामिल करवाये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 18–8–2020 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर तहसीलदार बाप से जवाब प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–2–2021 को पारित कर दिया जाने से व्यथित

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी पडौसी खातेदारो को अवसर देकर उनकी मौजुदगी मे धारा 111 के तहत निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट आने के बाद ही किसी खसरे की भूमि के पत्थरगढी का आदेश पारित करने चाहिये थे परंतु इस प्रकरण मे वर्तमान अपीलार्थीगण को कोई नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा कार्यवाही कर फर्द पैमाईश दिनांक 6–1–20 अनुसार पुलिस इमदाद के साथ पत्थरगढी करने बाबत आदेश दिनांक 24–2–2021 को पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण खसरा नंबर 2168, 2188, 2189 के रेकर्डेड खातेदार है तथा जिन खसरो का पत्थरगढी करने का आदेश जारी किया है, उनके पडौसी खातेदार है इस कारण अपीलांटगण प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा उनकी गैर मौजुदगी मे तैयार फर्द पैमाईश दिनांक 6–1–2020 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए केवल तहसीलदार का जवाब प्राप्त कर बिना प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण मौके पर पीढियो से काबिज है तथा रेस्पो0 उक्त पत्थरगढी आदेश की आड मे बिना विधिक प्रकिया अपनाये हमे बेदखल करना चाहते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 608 तथा आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 918 जिसमे धारा 111, 128 एल. आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र मे प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकारो को नोटिस दिया जाना आवश्यक बताया है इसलिए उक्त निर्णय नजीरो के परिपेक्ष्य मे अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि प्रत्येक खातेदार को अपने खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं पत्थरगढी कराने का पूर्ण अधिकार है इसी के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारान (वर्तमान अपीलांटगण) को पक्षकार बनाया गया था । वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने कथन किया कि अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये थे जिनकी रसीदे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 6–1–2020 के संबंध मे कथन किया कि उक्त सीमांकन फर्द पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे तैयार की गई थी जिस पर पडौसी खातेदारान ने असंतुष्टि जाहिर करने का उल्लेख है । इसलिए अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन सही नही है कि सीमांकन फर्द मौका अपीलांटगण की उपस्थिति मे तैयार नही की गई थी ।

अंत मे वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अपीलांट की उक्त अपील सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि कराने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थनापत्र मे वर्तमान अपीलांट को पक्षकार बनाकर उन्हे नोटिस रजिस्टर्ड भेजे गये तथा यह भी कथन किया कि सीमाकंन फर्द अपीलांटगण की उपस्थिति मे तैयार की थी परंतु उन्होने उसे इंकार कर दिया इसलिए यह नही माना जायेगा कि अपीलाधीन आदेश उनको नोटिस दिये बिना पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं पत्रावली मे उपलब्ध पत्रादि आदि का भी अध्ययन किया । वर्तमान अपील मे अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि उनके नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे व्यक्तिगत तामिल नही हुऐ थे तथा अधीनस्थ न्यायालय मे केवल रजिस्टर्ड नोटिसेज भिजवाने की रसीदो के आधार पर तामिल मानकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह प्रकट है कि अप्रार्थीगण के नोटिसेज रजिस्टर्ड जारी करने बाबत कोई आदेश नही होते हुए अप्रार्थीगण के नोटिसेज रजिस्टर्ड प्रेषित किये गये तथा जिनकी रजिस्ट्री रसीदे दिनांक 7–3–20 की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है तथा प्राप्ति रसीद/ए.डी. सभी पर केवल रफीक लिखा हुआ है उसकी कोई सकूनत आदि का उल्लेख नही है जिससे यह नही कहा जा सकता कि उक्त रफीक नामक व्यक्ति कौन है, जिसको तामिल मानते हुए आदेशिका दिनांक 18–8–2020 मे अप्रार्थीगण संख्या 2 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है, जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हम हस्तक्षेप करना न्यायोचित समझते है ।

परिणामस्वरूप हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश

जारी कंर नोटिस तामिल होने के पश्चात विधिवत सीमाज्ञान/पत्थरगढी का आदेश पारित करे । तत्पश्चात सीमाज्ञान/पत्थरगढी की कार्यवाही दोनो पक्षकारान की उपस्थिति मे भू अभिलेख निरीक्षक की अध्यक्षता मे टीम गठित कर की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 30–5–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर